LA-5(II)

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक :: एफ 8–28/2014/18 नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2016

प्रति,

1 **समस्त आयुक्त**
नगरपालिक निगम, छत्तीसगढ़

2 **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
नगरपालिका /नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– **छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम/नियम 2002 में संशोधन अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत्।**

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों ही प्रकार के अनधिकृत विकास प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रतिकिया नहीं मिल पाई। संभवतः इसका कारण शास्ति की प्रकिया जटील होना रहा है। जो जन सामान्य को समझ में नहीं आने के कारण पारदर्शिता का अभाव रहा है। इस कारण प्रकिया का सरलीकरण करने हेतु छ.ग. अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2016 जो प्रदेश में दि. 01.08.2016 से प्रभावशील है। उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.11.1984 से अधिसूचित दिनांक 01.08.2016 के मध्य अस्तित्व में आये आवसीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।

यह देखना जरूरी है कि 01 अगस्त 2016 के पश्चात् अनधिकृत निर्माण प्रारंभ न हो जाये। उचित होगा कि निवेश क्षेत्र में रिक्त स्थानों, अपूर्ण भवनों तथा अवैध कालोनियों की वीडियोग्राफी तत्काल कराई जावे। निवेश क्षेत्र की सूची तथा उसमें सम्मिलित ग्रामों/क्षेत्रों की जानकारी अपने जिले के नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी से अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जावे। वीडियोग्राफी के कार्य में जो भी व्यय होगा उसका भूगतान नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया जावेगा। वीडियोंग्राफी में तारीक व समय अनिवर्यतः अंकित हो।

इस बात पर सख्ती से अमल किया जाये कि अधिसूचित दिनांक के बाद निवेश क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न हो पाये। इस हेतु टीम बनाकर शहर का निरीक्षण नियमित रूप से किया जावे।

समय–सीमा में निर्देशानुसार विडियोग्राफी कराया जाना, समस्त आयुक्त /सीएमओ अपने–अपने क्षेत्रों में प्राथमिक्ता के साथ सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का पालन कड़ाई से किया जावे।

24/9/16

(बी.एल. सोनी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्र. :: एफ 8–28 / 2014 / 18 नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. आयुक्त, सह– संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर,
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर,
4. समस्त कलेक्टर, जिला.................................. छत्तीसगढ़,
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
7. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।

8. गार्ड फाईल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़, रायपुर
17 OCT 2016

आवक क्रमांक 1069
दिनांक 20/10/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग